IV 82/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 SEP 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 178826

ओम प्रकाश सिंह

झूरी सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 04.10.2016 को ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह निवासी ग्राम–आमडीह, पो0–हिनौता, तहसील–राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (उ0प्र0) हाल पता–वार्ड नं0 18, म0नं0 20 हर्ष नगर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र (उ0प्र0) द्वारा निष्पादित किया गया है, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यायकर्ता/संस्थापक मु0 5000/– (पाँच हजार) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट ''झूरी सिंह समोजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट'' के नाम से जाना जायेगा और कार्य करेगा जिससे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और

ओमप्रकाश सिंह

क्रमांक सं. 13785 07-10-16

स्टाम्प विक्री की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 100

[illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल

लाइसेन्स सं० 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

रावर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689890

क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुरूप मु0 5000/- (पाँच हजार) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-आमडीह, पो0-हिनौता, तहसील-राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र उ0प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

झूरी सिंह समोजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली

(A) ट्रस्ट के उद्देश्य

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालायों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालाओं, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, इबोला उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नशा उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना, नामांकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबद्ध, संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध, आवद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

ओम प्रकाश सिंह

13306

...प विक्री की तिथि...... 03-10-16

...प क्रय करने का प्रयोजन........

...प क्रेता का नाम व पूरा पता......

...प की धनराशि...... 20

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला
लाइसेन्स नं0- 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

न्यास पत्र

5,000.00	100.00	120	220.00	42
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री ओमप्रकाश सिंह (प्रधान ट्रस्टी)

पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी आमडीह पो0हिनौता पर0बड़हर तह0रा0गंज-सोनभद्र

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/10/2016 समय 1:28PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
राबर्टसगंज
4/10/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन

न्यासी

श्री ओमप्रकाश सिंह (प्रधान ट्रस्टी)
पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह
पेशा कृषि
निवासी आमडीह पो0हिनौता पर0बड़हर
तह0रा0गंज-सोनभद्र

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान रामचन्द्र सिंह
झूरी सिंह

पेशा कृषि

निवासी वार्ड नं0-18 म0नं0-20 हर्ष नगर तह0रा0गंज-सोनभद्र

व कमलेश कुमार सिंह
रामराज सिंह

पेशा कृषि

निवासी लोहरा पो0सुकृत पर0अहरौरा तह0रा0गंज-सोनभद्र

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बिवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
राबर्टसगंज
4/10/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689892

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रयोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रजी, उर्दू, कम्प्युटर, प्रोफेसनल, आदि विषयें पर विभिन्न स्तरिय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेषकर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियो की शिक्षा स्वास्थय साम्ाजिक एवं सर्वांगीण विकास तथा स्वालम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परिक्षाओं में छात्र, छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन,आवास, सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परिक्षाएं लेना।
6. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि करना।
7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, इबोला कार्यक्रम, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठीयों, सम्मेलन, प्रतियोगितायें, बैठक, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
9. समाज कल्याण विभाग , नाबार्ड कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संस्साधन मंत्रालय, एड्स, इबोला, नशा उन्मूलन पर कार्यक्रम कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई , स्क्रीन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीयता अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यलय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजिनियरिंग कालेज,

...क सं0 .... 13307 03-10-16
...प विक्री की तिथि.................
...प क्रय करने का प्रयोजन........
...प क्रेता का नाम व पूरा पता......
...प की धनराशि.....................

...टाम्प विक्रेता का ... मोहन लाल
लाइसेन्स नं0 ...19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
...र्ट्सगंज सोनभद्र

न्यासी

Registration No.: 82 Year : 2,016 Book No. : 4

0101 ओमप्रकाश सिंह (प्रधान ट्रस्टी)

रामचन्द्र सिंह

आमडीह पो0हिनौता पर0बड़हर तह0रा0गंज-सोनभद्र

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689893

निर्धन कालेज, पालिटेक्निक, सी0टी0आई0, आई0टी0आई0, पुस्तकालय, फार्मेसी, फिजियोथेरिपि आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना, तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल , प्रेस की स्थापना, संचालन , विकास, आबद्ध, लैब टेक्नीशियन, सबद्ध, प्रबन्ध आदि कर सकना।

12. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाईटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजो को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियो से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
14. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
15. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
16. कृषि उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
17. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना, एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना, एवं सेमिनार कर सकना।
18. कैंसर, एड्स, इबोला, नशा उन्मुलन के बारे में जन–जागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना व उपरोक्त असाध्य बिमारियों के निवारण हेतु संस्थान/केन्द्र स्थापित कर सकना।
19. पुस्तक, पुस्तिकायें, पत्र , पत्रिकाएं, समाचरपत्र आदि को प्रकाशित , मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विक्रय कर सकना।
20. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओ के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/ निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
21. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना, तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।

ओम प्रकाश सिंह

03-10-16

स्टाम्प बिक्री की तिथि.................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......
स्टाम्प की धनराशि.........................

स्टाम्प विक्रेता का नाम मोहन ला
लाइसेन्स नं० - 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

INDIA

TWENTY RUPEES

रु. 20

बीस रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689894

22. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार, जैसे सामाजिक दायित्यों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
23. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधार कर सकना।
24. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
25. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुस्कार, सहायता एवं वित्तीय सहायता , स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
26. विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेज / विधि महाविद्यालय / इन्जीनियरिंग कालेजों / प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न्यासियों एवं न्यास मण्डल / बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था / समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा, और वह समिति / संस्था न्यास की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
27. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यो मे प्रयोग करना।
28. ट्रस्ट जन सामान्य के हित मे कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं / वस्तुएं / लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा, तालाबों का निमार्ण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार–प्रसार कर सकना।

ओम प्रकाश सिंह

13309 03-10-16

नाक बा: ....
टाम्प बिक्री की तिथि ....
टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........
टाम्प की धनराशि ....

स्टाम्प विक्रेता का [illegible] मोहन लाल
लाइसेन्स नं० 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689895

29. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा, जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।
30. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
31. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओ का संचालन करना।
32. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना, गरीब असहायों एवं जरूरत मन्दों को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को एवं अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षणिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंसाधन संस्थाएं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
33. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
34. कृषकों को फल,फूल एवं औषधि , खेती के विषय मे जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
35. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।
36. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

(B) **प्रारम्भिक उपबन्ध :**

ओमप्रकाश सिंह

ार्क पंजी ......13390......
ाम्प बिक्री की तिथि......03.10.16......
ाम्प क्रय करने का प्रयोजन........
ाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........
ाम्प की धनराशि......20......

स्टाम्प विक्रेता का 5 मोहन ला
लाइसेन्स नं० - 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

राबर्ट्सगंज
उ० प्र०

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689891

वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह ग्राम–आमडीह, पो0–हिनौता, तहसील–राबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र (उ0प्र0) हाल पता–वार्ड नं0 18, म0नं0 20 हर्ष नगर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र (उ0प्र0) एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of deed) भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तथा आराधना कुशवाहा पत्नी अजय कुमार सिंह पता वार्ड नं0 18, म0नं0 20, हर्ष नगर, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र उ0प्र0 को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

1. यह कि ट्रस्ट डीड वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कर सुनिश्चित कर दी जाय तो ओम प्रकाश सिंह के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी पत्नी, तत्पश्चात पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंह की पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तराधिकारी पुत्री होगी। यही क्रम चलता रहेगा, इनके उत्तराधिकारियों के आलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही व्यक्ति क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्ट का ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी किसी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्तियों के नाम ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रजिस्टार के यहाँ वसीयत या कोई भी पत्र रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा, कभी भी ट्रस्टी की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी (पत्नी, पुत्र,पौत्र,प्रपौत्र,पुत्री)

ओमप्रकाश सिंह

…क्रमांक सं० ……[illegible]……

…टाम्प बिक्री की तिथि…………… 07-10-16

…टाम्प क्रय करने का प्रयोजन………

…टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता…… [illegible]

…टाम्प की धनराशि……………

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला[ल]

लाइसेन्स नं० - 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689896

आजीवन ट्रस्टी रहेंगे। उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जन, परिबर्द्धन, किसी भी परिस्थितियों में कभी भी नही किया जा सकता।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियें को अन्तरित कर सकते है।
4. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उनकी ओर से उनकी मॉ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष , ट्रस्टी का कार्य तब तक सम्भालेंगी जब तक की उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाये।

(C) <u>मैनेजिंग ट्रस्ट्री/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अँपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों में से किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हेा जायेगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी के घोषणा न कर पाने एव व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्टार के यहॉ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत

ओम प्रकाश सिं

क्रमांक रा...
स्टाम्प बिक्री की तिथि...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता...
स्टाम्प की धनराशि...

स्टाम्प विक्रेता का हस्ताक्षर
लाइसेन्स नं०
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689897

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यहॉ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है जिस पर पुर्नविचार का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(D) बोर्ड आफ ट्रस्टीजः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड आफ ट्रस्टीज मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद प्रर्यन्त ही कार्य करेगे।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वंय करेगा।
4. यह कि बोर्ड ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनकों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ओम प्रकाश सिंह

मांक सं. 133.93 09-10-16

टाम्प विक्री की तिथि................

टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........

टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...... [illegible]

टाम्प की धनराशि.........................

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला

लाइसेन्स नं0 - 10

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्टसगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   34AA 689898

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कें द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
6. **<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकारः</u>**– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष , ट्रस्ट के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E) अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी, अन्य ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकतों से युक्त निवास, कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी स्वंय अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

ओम प्रकाश सिंह

क्रमांक सं० 13354

स्टाम्प विक्री की तिथि........ 03-10-16

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......

स्टाम्प की धनराशि............ आ/स-प्रधान खैर-13305

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल

लाइसेन्स नं0 - 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689899

(F) **कार्यक्षेत्र–** ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा। वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त एवं राय प्राप्त कर सकता है, अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(G) **सचिव/उपसचिव की नियुक्ति–**

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिनप्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन , भत्ते सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(H) **उपाध्यक्ष की नियुक्तिः–**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेग।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य, नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसादपर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों

ओमप्रकाश सिंह

मांक सं० ......1331 ₹5 03-10-16
टाम्प विक्री की तिथि..................
टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........
टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........
टाम्प की धनराशि......................

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला
लाइसेंस सं० - 19
लाइसेंस की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689900

पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है, अथवा उक्त पदो के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

(I) **<u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>** यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगे–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्व ढंग से देख–रेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहॉ पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(J) **<u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>**

1. अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना, परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता।

(K) **<u>सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>** ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है, ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

ओमप्रकाश सिंह

क्रमांक सं० ....13986.... 07-10-16

स्टाम्प विक्री की तिथि..................

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि.....................

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन लाल

लाइसेंस नं0 - 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

राबर्ट्सगंज सोनभद्र

रजिस्ट्रार राबर्ट्सगंज जि० सोनभद्र उ० प्र०

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689901

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य कलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशको, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति मे उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार /प्रसार/मुद्रण/प्रशासन/वितरण/क्रय/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणोर्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

L) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एंव कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

ओम प्रकाश सिंह

...विक्री की तिथि... 13352 03-10-18

...क्रय करने का प्रयोजन........

...क्रेता का नाम व पूरा पता......

...की धनराशि.................. रु0 15-

...नाम: मोहन ला...

...लाइसेंस नं - 19

लाइसेंस की अवधि

तहसील परिसर सदर

...र्ट्सगंज सोनभद्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689902

(M) बैंक एकाउण्ट –

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वंय अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टियों मे से) संयुक्त रूप से कर सकते है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र /कार्यक्रम, ईकाई, कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वंय ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम, ईकाई के अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता , खोला व संचालित किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा, जिसमें परिर्वतन का एकाधिकार अध्यक्ष मे निहित होगा।

ओमप्रकाश सिंह

1339

07-04-16

...क रा: ....

...य विक्री की तिथि..................

...र कय करने का प्रयोजन.........

...व क्रेता का नाम व पूरा पता......

...प की ध...................

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला

लाइसेन्स नं० - 19

लाइसेन्स की अवधि

तहसील परिसर सदर

...र्टसगंज सोनभ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689903

(N) विधिक कार्यवाही :–

ट्रस्ट के विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था ट्रस्ट की तरफ से कोंई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष/सचिव की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयो मे पैरवी स्वंय या अन्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास सम्पत्ति व न्यास का संचालन व प्रबंधन के बावत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय मे वाद किसी भी परिस्थिति मे प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबंधन के बावत उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्णित किया जायेगा। पंचो की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व ट्रस्टी) द्वारा किया जायेगा। यदि भविष्य मे किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय मे दाखिलकिया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अगर किसी ट्रस्टी द्वारा कोई वाद–विवाद, चारित्रिक हनन, शोषण व दोष, संस्था के विरूद्ध अनैतिक कार्य करने पर जिससे संस्था की अहित हो व आर्थिक–सामाजिक क्षति हो उस दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अन्य दो ट्रस्टी से किसी एक का बहुमत लेकर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, उसके स्थान पर उसके योग्य उत्तराधिकारी चक्रक्रमानुसार (पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्री) ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है, एवं विषम परिस्थितियों में उस ट्रस्टी का विधिक अधिकार व सदस्यता समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

ओम प्रकाश सिंह

...क सं० .... 1339ए 03.07.16

...य विक्री की तिथि................

...य क्रय करने का प्रयोजन.........

...ता क्रेता का नाम व पूरा पता...... 30/5-537...

...की धनराशि...............

...विक्रेता का नाम- मोहन ला...

लाइसेन्स नं० - 19

लाइसेन्स की अवधि-

तहसील परिसर सदर

...गंज सोन...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689904

(O) सम्पत्ति संबन्धी–

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख,विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/ विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है, बन्धक रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है, अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट, धन को कहीं भी विनियोति कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।

ओम प्रकाश सिंह

...क्र० ...... 13402 03-10-16

...विक्री की तिथि..................

...क्रय करने का प्रयोजन.........

...क्रेता का नाम व पूरा पता...... [illegible]

...की धनराशि.......................

...विक्रेता का नाम- मोहन ला...

लाइसेन्स नं० - 19

लाइसेन्स की अवधि

कलेक्ट्रेट परिसर सदर

...र्टसगंज सोनभ...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689905

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Gurantee), भाड़ा क्रय (Hire purchase), अनुज्ञप्ति (Licence), बन्धक (Mortgage), भारित, (Charge), गिरवी (Pledege), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ ले सकता है/दे सकता है।

(P) <u>विशेष :-</u>

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित /कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/ कार्यक्रम /ईकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम /उपनियम इत्यादी बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट"झूरी सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधानि का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति, उप समिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा, तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

ओम प्रकाश सिंह

1364 03-10-16

...क सं० ....

...म बिक्री की तिथि..................

...म क्रय करने का प्रयोजन...........

...म क्रेता ... ... व पूरा पता.......

...म की धनराशि...........................

...को नाम- मोहन ला

लाइसेन्स नं० - 19

लाइसेन्स की अवधि

...सील परिसर सदर

...गंज सोस०.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689906

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुये भी अन्यथा निर्णय ले सकते है, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।

ओम प्रकाश सिंह

क्र सं० ...1362...... 09-10-16
...र बिक्री की तिथि..................
...प क्रय करने का प्रयोजन........
...प क्रेता का नाम व पूरा पता......
...प की धनराशि......................

स्टाम्प विक्रेता का नाम- मोहन ला
लाइसेन्स नं० - 19
लाइसेन्स की अवधि ...
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 689907

(ग) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/व्यक्तिगत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय/इन्जिनियरिंग कालेज/पालिटेक्निक/आई0टी0आई0/सी0टी0आई0/पुस्तकालय/फार्मेसी/फिजियोथेरेपी आदि संस्थानों, कार्यक्रमों/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम, उपनियम बनाया जायेगा व तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय, बोर्ड, सरकारी/अर्द्धसरकारी व मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/विभाग इत्यादी की आवश्यकतानुसार प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होगें। नामित व्यक्ति बोर्ड आफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते है। समिति/उपसमिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी करेगें। इस निमित उन्हे विश्वविद्यालय/ बोर्ड /विभाग के नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति /उपसमिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक समझा जायेगा। इस प्रकार मैनेजिंग ट्रस्टी समिति / उपसमिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक) आजीवन पदेन होगा, और समिति / उप समिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबंन्धक बन कर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवं अनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

ओम प्रकाश सिंह

...क्रम सं. ....13609....
...टाम्प बिक्री की तिथि................ 07-10-16
...टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........
...टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......
...टाम्प की धनराशि........................

स्टाम्प विक्रेता के हस्ता. मोहन लाल
लाइसेन्स नं० - 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689908

(घ) समिति के दो निदेशक अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते है, जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग करेगें।

" झूरी सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट " की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित " झूरी सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट " की उद्देश्य एवं नियमावली , एतद्द्वारा अधिनियमित , अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

ओम प्रकाश सिंह

भाक सं० 1364

स्टाम्प विक्री की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......

स्टाम्प की धनराशि..................

स्टाम्प विक्रेता [illegible] मोहन ला
लाइसेन्स [illegible] - 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

आज दिनांक **04/10/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **106**

पृष्ठ सं. **23** से **64** पर कमांक **82**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबन्धक
राबर्टसगंज
4/10/2016

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 689909

अतएव न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर, पढ़वाकर, स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में चन्द गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बना दिया, कि वक्त जरूरत पर काम आवे व सनद रहे।

दिनांकः– 04.10.2016

ओम प्रकाश सिंह

मसविदाकर्ता– सत्य प्रकाश सिंह कुशवाहा एडवोकेट
टाईपकर्ता– दीपचन्द्र

ओम प्रकाश सिंह
संस्थापक/अध्यक्ष
"झूरी सिंह समाजोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट"

गवाह 1– रामचन्द्र सिंह पुत्र झूरी सिंह
वार्ड नं0–18, म0नं0 20, हर्ष नगर, राबर्ट्सगंज
जनपद–सोनभद्र

गवाह 2– कमलेश कुमार सिंह पुत्र रामराज सिंह
नि० ग्राम– सेमरा, पोस्ट– सुकृत सोनभद्र। 04-10-2016

माक सं: 13405
टाम्प विक्री की तिथि 03-10-16
टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
टाम्प की धनराशि

स्टाम्प विक्रेता का नाम मोहन लाल
लाइसेन्स नं० 19
लाइसेन्स की अवधि
तहसील परिसर सदर
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

गवाह

Registration No.: 82 Year : 2016 Book No. : 4

W1 रामचन्द्र सिंह

झूरी सिंह

वार्ड नं0-18 म0नं0-20 हर्ष नगर तह0रा0ंज-सोनभद्र

कृषि

W2 कमलेश कुमार सिंह

रामराज सिंह

लोहरा पो0सुकृत पर0अहरौरा तह0रा0ंज-सोनभद्र

कृषि